

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण जानकारी।

देय खाद्यान्न की मात्रा एवं मूल्य :-

- ❖ अन्त्योदय अन्य योजना - 20 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 15 कि०ग्रा० चावल प्रतिमाह प्रति कार्ड।
- ❖ पात्र गृहस्थी योजना - 03 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 02 कि०ग्रा० चावल कुल 05 कि०ग्रा० प्रतिमाह खाद्यान्न प्रति यूनिट।
- ❖ उपरोक्त दोनों योजनाओं पर गेहूँ रु०-02 प्रति कि०ग्रा० तथा चावल रु०-03 कि०ग्रा० की दर से देय।

खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में :-

- ❖ कार्ड धारक विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 अथवा 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- ❖ जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकती है।
- ❖ जनपद स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी अर्थात् नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हकदारी अथवा खाद्य सुरक्षा भत्ते प्राप्त किये जाने हेतु शिकायत की जा सकती है।



**खाद्य तथा रसद विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
जनपद : लखनऊ**

राशन कार्ड क्रमांक : **115740735641**
टाउन : **LUCKNOW(M Corp.)**
मुखिया का नाम : **पिंकी**
पिता / पति का नाम : **राकेश कुमार**
श्रेणी/जाति :
निवास का पता : **592 CHHA/ 161, RAM TOLA KHARIKA TELIBAGH Lucknow(M Corp.) - 226001**
आधार /इनरोलमेंट नं० : **XXXX XXXX**
गैस ग्राहक कनेक्शन सं० :
गैस एजेंसी का नाम :
उचित दर दुकान : **Ms Chhawani Up S S Four**
यूनिटों का विवरण : **4 (Four)**

दिनांक : 15-06-2024

Digitally Signed By

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -२० के अन्तर्गत डिजिटली हस्ताक्षरित राशन कार्ड
IT Solution Provided By: National Informatics Centre(NIC), UP. Print at :

परिवार की सदस्यों की सूची

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम (हिंदी में)	मुखिया से सम्बन्ध
1	पिंकी	स्व. जिया लाल	स्वयं
2	शिवानी कुमारी	राकेश कुमार	बेटी
3	आदित्य कुमार	राकेश कुमार	बेटा
4	सिमरन चौहान	राकेश कुमार	बेटी